न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/343

दयाकृष्ण शर्मा आत्मज श्री बालकृष्ण जी दाधीच जाति ब्राह्मण निवासी बडे मंदिर के पास ग्राम बपावर कलां तहसील सांगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती शकुन्तला बेवा श्री बालकृष्ण जी जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 17/226 नन्दकिशोर जी का डपोला बजराजपुरा, कोटा ।
2. विष्णु कुमार दत्तक पुत्र श्री कान्तीचन्द जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मानसगॉव पोस्ट ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. महावीर प्रसाद आत्मज श्री बालकृष्ण जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 17/226 नन्द किशोर जी का डपोला बजराजपुरा, कोटा ।
4. राजेश कुमारी पुत्री श्री बालचन्द जी पत्नी विनोद जी जोशी जाति ब्राह्मण हाल निवासी शुभम टीचर्स कॉलोनी कलेन्जरी गेट शाहपुरा भीलवाडा ।
5. अनूप कुमारी पुत्री श्री बालचन्द जी पत्नी श्री दिनेश जी जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 404, बल्लभ अपार्टमेट रिद्धी–सिद्धी पार्क के सामने न्यू रतन कॉम्पलेक्स भुवाना, उदयपुरा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 5 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 12.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम मोराना तहसील दीगोद ज़िला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 597 रकबा 2.97 हैक्टर, खसररा नम्बर 647 की रकबा 3.12 हैक्टर कुल 02 किता की 6.09 हैक्टर एवं ग्राम बपावर कलां तहसील सांगोद की आराजी कुल 08 किता की रकबा 2.43 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर

कथन किया कि उक्त भूमि पक्षकारान के शामलाती भूमि है जिसमें वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 से 5 का समान हक हिस्सा अर्थात् प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हिस्सा है । श्रीमती बृजबाई ने अपने जीवनकाल में अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि की वसीयत दिनांक 25.05.2000 को प्रतिवादी कम 1 से 3 व वादिनी के पक्ष में संभाग से 1/4 – 1/4 भाग से निष्पादित कर दी । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये और अपने हिस्से में प्राप्त भूमि को पृथक अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावे ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे तथा मौके पर निशानदेही करवाकर पृथक–पृथक कब्जा दिलवाये जाने की डिक्री पारित की जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिनी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे और बिना विभाजन करवाये उक्त भूमि को बेचान व खुर्द–बुर्द करने का प्रयास नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए दावा वादी डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा ग्राम मोराना तहसील दीगोद एवं ग्राम बपावर कला तहसील सांगोद जिला कोटा की आराजीयात के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया जिस पर केवल मात्र मोराना स्थित भूमि के सम्बन्ध में ही निर्णय पारित किया है । रेस्पोडेन्ट कम 2 कान्तीचन्द जी के पास बाल्यकाल से ही गोद चला गया है और गोदपुत्र की हैसियत से कान्ति चन्द जी के साथ निवास करता चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाने बाबत् पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । संलग्न दस्तावेजात में न्यायालय एडीजे कम 05 कोटा में पेश किये गये दावे एवं जवाबदावे की प्रति पेश की है । इसके अलावा अन्य कुछ दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न हैं जिन्हें शमिल मिसल किया गया ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट ने ग्राम मारोना तहसील दीगोद एवं ग्राम बपावर कलां तहसील सांगोद की आराजीयात के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया था था परन्तु अधीनस्थ

न्यायालय ने केवल मात्र ग्राम मोराना तहसील दीगोद की आराजी का ही बंटवारा किया है । रेस्पोडेन्ट कम 2 कान्तीचन्द के गोद चला गया था फिर भी उसको सहखातेदार मानकर त्रुटि की है । आराजी पैतृक है जिसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 3 का जन्म से ही अधिकार है। सीपीसी की पालना नहीं की गई है । लोक अदालत की भावना के विपरीत निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट को कैम्प कोर्ट का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कोर्ट कैम्प की सूचना पक्षकारों को दी थी । वादिनी एवं प्रतिवादी कम 2 लगायत 5 अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से लोक अदालत की भावना से निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2015 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वादी जवाब एवं वकालतनामा में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादिनी और प्रतिवादी कम 2 लगायत 5 उपस्थित हुए हैं । प्रतिवादी कम 1 उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । समस्त पक्षकारों द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ग्राम मोराना की आराजी के बावत् विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है जबकि दावा बपावर कला एवं मोराना दोनों ग्रामों की आराजी से सम्बन्धित था । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम मोराना तहसील दीगोद एवं ग्राम बपावर कलां तहसील सांगोद दोनों ग्रामों की आराजी के सम्बन्ध में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकी कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 12.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा